

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. ई सी आई/प्रेस नोट/35/2015

दिनांक : 26 मई, 2014

प्रेस नोट

विषय : मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचनों की अनुसूची।

निम्नलिखित राज्यों के सामने उल्लिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है :

क्रम संख्या	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
1.	मेघालय	59-चोकपोट (अ.ज.जा.)
2.	केरल	136-अरूवीकरा
3.	त्रिपुरा	13-प्रतापगढ़ (अ.जा.)
4.	त्रिपुरा	46-सुरमा (अ.जा.)
5.	मध्य प्रदेश	227-गरोठ
6.	तमिलनाडु	11-डा. राधाकृष्णन नगर

आयोग ने निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन करवाने का निर्णय लिया है:

	कार्यक्रम	तारीख
1.	अधिसूचना जारी करना	03.06.2015 (बुधवार)
2.	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	10.06.2015 (बुधवार)
3.	नामांकनों की संवीक्षा	11.06.2015 (गुरुवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	13.06.2015 (शनिवार)
5.	मतदान की तारीख	27.06.2015 (शनिवार)
6.	मतगणना की तारीख	30.06.2015 (मंगलवार)
7.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	02.07.2015 (गुरुवार)
8.	मतदान का समय	पूर्वा. 8:00 से अप. 5:00 बजे तक

निर्वाचक नामावली

इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को 01.01.2015 के संदर्भ में अर्हक तिथि के रूप में संशोधित कर लिया गया है और मेघालय में 05.01.2015, केरल में 05.1.2015, त्रिपुरा में 05.01.2015 मध्य प्रदेश में 05.01.2015, तमिलनाडु में 05.01.2015 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई वी एम)

आयोग ने उप-निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मशीनों की मदद से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएंगे, सभी उपाय कर लिए गए हैं।

मतदाताओं की पहचान

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतदान के समय उपरोल्लिखित उप-निर्वाचनों में मतदाता की पहचान आवश्यक होगी। मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचक नामावली में किसी का भी नाम विद्यमान होने पर कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह सके, इसके लिए उपरोक्त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

आयोग के दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के अनुदेश सं. 437/अनु./2012/सीसी एवं बीई (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा जारी, आंशिक संशोधनों के अध्यक्षीन, आदर्श आचार संहिता उस/उन जिले/जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जहां पूरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या उसके कुछ अंश में उप-निर्वाचन होना है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता उपर्युक्त जिले (लों) के संबंध में संघ सरकार पर भी लागू होगी।

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक

**मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की विधान सभाओं में
आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचनों की अनुसूची-तत्संबंधी।**

Schedule for bye-elections to fill casual vacancies in the Legislative Assemblies
of Meghalaya, Kerala, Tripura, Madhya Pradesh and Tamil Nadu – Regarding.